रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 23, 2013/कार्तिक 1, 1935
No. 240] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2013/KARTIKA 1, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 **अक्तूबर**, 2013

1.44 प्रतिशत मुद्रास्फीति सूचीकृत सरकारी स्टॉक 2023 की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ. संख्या **4(16)-**डब्ल्यूएंडएम**/2012**:—**भारत सरकार** एतद्द्वारा 1,000 करोड़ **रुपए** (**अंकित**) **की कुल राशि के लिए** 1.44 **प्रतिशत** (**पुनर्निर्गम**) **मुद्रास्फीति सूचीकृत सरकारी स्टॉक**-2023 (**प्रतिभूति**) **की बिक्री** (**पुनर्निर्गम**) **को अधिसूचित करती है। यह बिक्री इस अधिसूचना** (**जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है**) **में उल्लिखित शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना संख्या** 4(13)-**डब्ल्यूएण्डएम**/2008, **तारीख** 8 **अक्तूबर**, 2008 **में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।**

निर्गम की विधि

2. **इस स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक**, **मुंबई कार्यालय**, **फोर्ट**, **मुंबई**-400001 **के माध्यम से तारीख** 8 **अक्तूबर**, 2008 **की सामान्य अधिसूचना संख्या** 4(13)-**डब्ल्यूएंडएम**/2008 **के पैरा** 5.1 **में यथा निर्धारित तरीके से समान मूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए लाभ आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी ।**

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 20 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 30 अक्तूबर, 2013 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 30 अक्तूबर, 2013 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

अवधि

5. स्टॉक की अवधि दस वर्ष के लिए होगी। यह स्टॉक 5 जून, 2013 से प्रारम्भ होगा। इस स्टॉक की चुकौती 5 जून, 2023 को सममूल्य, पर की जाएगी।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

6. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में 30 अक्तूबर, 2013 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 31 अक्तूबर, 2013 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा।

ब्याज

7. ब्याज मूल निर्गम की तारीख से स्टाक की सूचीकृत मूल राशि पर 1.44 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय होगा । ब्याज का भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर 5 दिसंबर और 5 जून को किया जाएगा। सूचीकृत मूलधन का परिकलन सूचकांक अनुपात (आईआर) से गुणा करके मुद्रास्फीति के संदर्भ में मूलधन अर्थात् 100 रुपए पर किया जाएगा।

मूल्या सूचकांक

8. अंतिम थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पीआई) का प्रयोग सूचकांक अनुपात की गणना करने के लिए और इसके द्वारा मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। मासिक अंतिम थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग कलेंडर माह की पहली तारीख हेतु संदर्भ डब्ल्यूपीआई के लिए किया जाएगा और लगातार दो कलेंडर महीनों की पहली तारीख के बीच के दिनों के लिए संदर्भ डब्ल्यूपीआई की गणना रेखीय इंटरपोलेशन के जरिये की जाएगी । इसके अतिरिक्त, मासिक अंतिम डब्ल्यूपीआई का प्रयोग चार माह के अंतर पर किया जाएगा यथा: 1 अक्तूबर, 2013 और 1 नवम्बर, 2013 के लिए संदर्भ डब्ल्यूपीआई के तौर पर क्रमश: मई, 2013 और जून, 2013 के अंतिम डब्ल्यूपीआई का प्रयोग किया जाएगा । 30 अक्तूबर, 2013 के लिए संदर्भ डब्ल्यूपीआई 173.14194 होगा (1 अक्तूबर और 1 नवम्बर को क्रमश: 171.4 और 173.2 पर संदर्भ डब्ल्यूपीआई के रेखीय इंटरपोलेशन के जरिये) । मुद्रा-स्फीति सूचीकृत सरकारी स्टॉक के निर्गम के पश्चात डब्ल्यूपीआई श्रृंखला हेतु आधार वर्ष में संशोधन होने पर, सूचीकरण के प्रयोजनों के लिए नए डब्ल्यूपीआई सूचकांक का प्रयोग किया जाएगा और नए डब्ल्यूपीआई सूचकांक के

पुराने मानों की गणना आधार की स्पलाइसिंग के जरिये की जाएगी । अंतिम डब्ल्यूपीआई के मासिक आंकडों को भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

सूचकांक अनुपात

9. सूचकांक अनुपात की गणना निर्गम तारीख (आधार सूचकांक मूल्य) के संदर्भ डब्ल्यूपीआई के साथ निपटान/कूपन तारीख के संदर्भ डब्ल्यूपीआई से विभाजित कर की जाएगी। किसी विशेष तारीख के सूचकांक अनुपात को दशमलव के बाद छह अंकों तक छोटा किया जा सकता है अथवा दशमलव के बाद पांच स्थानों तक पूर्णांकित किया जा सकता है। तदनुसार, इस नीलामी के लिए लागू सूचकांक अनुपात 1.01621 (173.14194 / 170.38000) है।

भारत के राष्ट्रपति के
आदेश से,
पीयूष कुमार, निदेशक

अनुबंध

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. कार्यक्षेत्र: सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तद्नुसार, मुद्रास्फीति सूचीबद्ध सरकारी स्टाक (आईआईजीएस) की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 20 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।

II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं; अपवाद: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं;

3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद: ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एस.जी.एल.खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

III. व्यापकता: उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-निर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :

1. **खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य होगा। कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन दिनांकित प्रतिभूति की किसी नीलामी में केवल एक बोली में भाग ले सकता है। इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना होगा।**

2. **अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में अपने ग्राहकों की ओर से एक एकल समेकित अप्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करेगा। असाधारण परिस्थितियों, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली में सामान्य गड़बड़ी को छोड़कर, भौतिक रूप में अप्रतिस्पर्धी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।**

3. **बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगा, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।**

4. **ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 20 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का दायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें ।**

5. **ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में शामिल किया जाएगा।**

6. **प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं। अतः बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है।**

7. **यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का दायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्यदिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।**

8. **बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपए तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के**

बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा।

9. **प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि किसी अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।**

V. **बैंकों और प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा समय-समय पर मांगी गई योजना के तहत संचालनों से संबंधित सूचना निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।**

VI. **ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तद्नुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा।**

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2013

Auction for Sale (Re-issue) of 1.44% Inflation Indexed Government Stock 2023

F. No. 4(16)W&M/2012.—Government of India hereby notifies sale (re-issue) of 1.44% Inflation Indexed Government Stock-2023 (securities) for an aggregate amount of ₹ 1,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F. No.4(13)–W&M/2008, dated October 8, 2008 issued by Government of India.

Method of Issue

2. The Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai- 400 001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F. No. 4(13)–W&M/2008, dated October 8, 2008 by a price based auction using uniform price auction method.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 20% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annex).

Place and date of auction

4. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on October 30, 2013. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system on October 30, 2013. The non-competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 11.30 a.m. and the competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 12.00 noon.

Tenure

5. The Stock will be of ten-year tenure commencing from June 5, 2013. The Stock will be repaid at par on June 5, 2023.

Date of issue and payment for the stock

6. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai Office on October 30, 2013. The payment by successful bidders will be on October 31, 2013 i.e., the date of re-issue.

Interest

7. Interest at the rate of 1.44 per cent per annum will accrue on the indexed principal value of the Stock from the date of original issue and will be paid half yearly on December 5 & June 5.The indexed principal will be calculated by multiplying the original principal value i.e., ₹ 100 with the index ratio (IR).

Price Index

8. Final Wholesale Price Index (WPI) will be used for calculating index ratio and thereby providing inflation protection. The monthly final WPI will be used as reference WPI for 1st day of a calendar month and the reference WPI for the days between 1st day of two contiguous calendar months will be computed through linear interpolation. Further, monthly final WPI will be used with a lag of four months, viz. final WPI for May 2013 and June 2013 will be used as reference WPI for 1st October 2013 and 1st November 2013, respectively. The reference WPI for 30th October 2013 will be 173.14194 (through linear interpolation of reference WPI for 1st October and 1st November at 171.4 and 173.2 respectively). In case of revision in the base year for WPI series after issuance of Inflation Indexed Government Stock, new WPI index will be used for indexation purposes and the past values of new WPI index would be computed through splicing the base. The monthly data on final WPI published by the Office of the Economic Adviser to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry will be used.

Index ratio

9. Index ratio is computed by dividing reference WPI of the settlement/coupon date with the reference WPI of the issue date (Base index value). Index ratio for a specific date is truncated to six decimal places and rounded off to five decimal places. Accordingly, the index ratio applicable for this auction is 1.01621 (173.14194/170.38000).

By Order of the President of India,

PEEYUSH KUMAR, Director

Annexure

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. **Scope:** With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities, it is proposed to allow participation on "non-competitive" basis in select auctions of dated Government of India (GoI) securities. Accordingly, non-competitive bids up to 20 per cent of the notified amount will be accepted in the auctions of Inflation Indexed Government Stocks (IIGS). The reserved amount will be within the notified amount.

II. **Eligibility:** Participation on a non-competitive basis in the auctions of IIGS will be open to investors who satisfy the following:

1. do not maintain current account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a single bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction.

3. submit their bid indirectly through any one bank or PD offering this scheme.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India shall be eligible to submit their non-competitive bids directly.

III. Coverage: Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be ₹ 10,000 (face value) and thereafter in multiples in ₹ 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV**. Other Operational Guidelines:**

1. The retail investor desirous of participating in the auction under the Scheme would be required to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. Under the Scheme, an investor can make only a single bid in an auction of a dated security. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to obtained and kept on record by the bank or PD.

2. Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents will submit a single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the Reserve Bank of India Core

Banking Solution (E-Kuber) system. Except in extraordinary circumstances such as general failure of the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system, non-competitive bid in physical form will not be accepted.

3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.

4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (20% of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.

5.In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.

6. Security would be issued only in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (real face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover up to six paise per ₹ 100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.

9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.